छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 601/2007</u>

1. **श्री सुरेश नखत,** - *अपीलार्थी*
प्रतिनिधि- दैनिक सवेरा संकेत,
डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा,
कलेक्टर कार्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 17 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सुरेश नखत द्वारा कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, दुर्ग के जन सूचना अधिकारी के समक्ष दिनांक 24.07.2006 को जाकनारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर नियत समयावधि में जानकारी नही दिये जाने के कारण दिनांक 28.08.2006 को उनके द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई और बाद में सही प्रथम अपीलीय अधिकारी बनने पर दिनांक 25.10.2006 को पुनः प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त प्रथम अपील का निराकरण नही किये जाने के कारण असंतुष्ट होकर दिनांक 04.06.2007 को आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को बीस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तथा सहायक आयुक्त का स्थानांतरण हो जाने के कारण तत्कालीन सहायक आयुक्त, श्री डी0आर0 भगत को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर श्री भगत द्वारा दिनांक 13.02.2008 को प्रस्तुत किया गया और बाद में दिनांक 18.02.2008 को डाक से संशोधित उत्तर भेजा गया । उत्तर में श्री भगत द्वारा बताया गया है कि अन्य प्रकरण कमांक 522/2006 की जानकारी उन्हें पहले ही दे दी गई है और प्रकरण कमांक 601/2007 की जानकारी के लिए उन्हें दोषी बनाना उपयुक्त नही है, किन्तु प्रकरण कमांक 522/2006 और प्रकरण कमांक 601/2007 दोनो का विषय अलग-अलग है, अतः दिया गया उत्तर किसी भी प्रकार से संतोषप्रद नही है । प्रकरण में वास्तविक विलंब तत्कालीन सहायक आयुक्त श्री डी0आर0 भगत के समय ही हुआ है और उनके द्वारा माह अगस्त, 2007 में चार्ज दिया गया

था एवं उनके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है कि वर्तमान आवेदन से संबंधित चाही गई जानकारी अपीलार्थी को प्रदान की गई है । अतः अब प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि जानकारी पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार नही दी गई है तो अब 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान करा दी जावे । साथ ही अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद नही पाये जाने के कारण श्री डी0आर0 भगत, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, दुर्ग पर राशि 2000/- (दो हजार रूपये) रूपये आरोपित की जाती है, साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को राशि 500/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ अन्य प्रकरणों के साथ इस प्रकरण में भी ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, दुर्ग में काफी रिकार्ड भी गायब है और संभवतः काफी वित्तीय अनियमितता भी हुई हो, अतः प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग दोनों को निर्देश दिये जाते हैं कि कार्यालय का विशेष आडिट एक माह के अन्दर करा लिया जावे, ताकि इस कार्यालय में वित्तीय अनियमितता हुई हो तो उसे रोका जा सके और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त